

In the court of Sri Rishi Kumar Singh,
Principal Judge, Family Court, Vaishali at Hajipur
G.S. Case No:-06/2023

रूबी देवी पति अविनाश राय,
नैहरी पता—पिता परम राय,
ग्राम हरदासपुर, पो0 मोहनपुर, थाना पटोरी, जिला समस्तीपुर।
.....आवेदिका

बनाम

अविनाश राय, पिता शिवजी राय,
निवासी ग्राम लाहोरीचक, पो0 एवं थाना महनार, जिला
वैशाली।

.....विपक्षी

20.05.2026

आवेदिका अनुपस्थित हैं।

वाद पुकार पर आवेदिका की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका दिनांक 14.09.2023 से निरन्तर अनुपस्थित चली आ रही है। प्रस्तुत वाद सुनवाई हेतु चला आ रहा है। दिनांक 12.03.2026 के आदेश द्वारा आवेदिका को निर्देशित किया गया कि वे वाद में उचित पैरवी करें तथा सदेह रहें, जिसके लिए उसे अंतिम अवसर दिया गया।

आज वाद बार—बार पुकार किया गया, परन्तु आवेदिका की ओर से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा आवेदिका की ओर से कोई पैरवी नहीं दाखिल की गयी है तथा अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को अब प्रस्तुत वाद में कोई अभिरुची नहीं रह गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वाद को अभियोजन के अभाव में खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

प्रधान न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।